संख्या–09/2024/729/ ई-1/तेरह-2024-1703489/2023

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

संयुक्त सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 05 अप्रैल, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-001 आबकारी विभाग के लिये प्राविधानित धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-01/एक-4/बजट अनुमान/आबकारी/ 2024-25 दिनॉक 02.04.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित प्राविधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में आबकारी विभाग के लिए प्राविधानित धनराशि रु.4,94,55,11,000.00 (मतदेय) व धनराशि रु.2,50,00,000.00 (पूंजीगत) सहित कुल धनराशि रु.4,97,05,11,000.00 (चार अरब सतानवे करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार) में से रु.4,95,05,11,000.00 (चार अरब पनचानवे करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार) आपके निवर्तन पर निम्नवत रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या–001
आय–व्ययक अनुमान–2024–2025 (धनराशि रूपये में)

लेखा शीर्षक / उप मद			
2039–राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001– निदेशन और प्रशासन 03– अधीक्षण	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	अभ्युक्ति
01– वेतन	415456000.00	415456000.00	
02–मजदूरी	1000000.00	1000000.00	
03– मंहगाई भत्ता	228501000.00	228501000.00	
04–यात्रा व्यय	2000000.00	2000000.00	
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1000000.00	1000000.00	
06– अन्य भत्ते	3000000.00	3000000.00	
07– मानदेय	20000.00	20000.00	
08–कार्यालय व्यय	7500000.00	7500000.00	
09–विद्युत देय	7000000.00	7000000.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10–जलकर/जल प्रभार	4000000.00	4000000.00	
11–लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	1500000.00	1500000.00	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3000000.00	3000000.00	
13–टेलीफोन पर व्यय	5000000.00	5000000.00	
15– गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	13000000.00	13000000.00	
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9000000.00	9000000.00	
17–किराया उप शुल्क एवं कर–स्वामित्व	9000000.00	9000000.00	
18– प्रकाशन	200000.00	200000.00	
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	2000000.00	2000000.00	
23– गुप्त सेवा व्यय	2000000.00	2000000.00	
39– औषधि तथा रसायन	600000.00	600000.00	
42– अन्य व्यय	50000.00	50000.00	
44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500000.00	500000.00	
45– अवकाश यात्रा व्यय	50000.00	50000.00	
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	700000.00	700000.00	
47– कम्प्यू0 अनु0/तत्सं स्टेशनरी का क्रय	2000000.00	2000000.00	
49–चिकित्सा व्यय	4000000.00	4000000.00	
51–वर्दी व्यय	2400000.00	2400000.00	
55 – मकान किराया भत्ता	35000000.00	35000000.00	
58 –आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	6950000.00	6950000.00	
योग–03	**766427000.00**	**766427000.00**	
लेखा शीर्षक/उप मद			
2039–राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001– निदेशन और प्रशासन 04–जिला कार्यकारी अधिष्ठान	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
08–कार्यालय व्यय	5000000.00	5000000.00	
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	100000000.00	100000000.00	
42– अन्य व्यय	2000000.00	2000000.00	
योग–04	**107000000.00**	**107000000.00**	
2039–राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001– निदेशन और प्रशासन 05– भट्ठिया	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
01– वेतन	2348441000.00	2348441000.00	
03– मंहगाई भत्ता	1291643000.00	1291643000.00	
04–यात्रा व्यय	2000000.00	2000000.00	
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4000000.00	4000000.00	
06– अन्य भत्ते	14000000.00	14000000.00	
08–कार्यालय व्यय	10000000.00	10000000.00	
09–विद्युत देय	6000000.00	6000000.00	
10–जलकर/जल प्रभार	1500000.00	1500000.00	
11–लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	1500000.00	1500000.00	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5000000.00	5000000.00	

http://shasanadesh.up.gov.in

13–टेलीफोन पर व्यय	2000000.00	2000000.00	
15– गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	100000000.00	100000000.00	
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	800000.00	800000.00	
17–किराया उप शुल्क एवं कर–स्वामित्व	800000.00	800000.00	
42– अन्य व्यय	500000.00	500000.00	
44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रसंगिक व्यय	500000.00	500000.00	
45– अवकाश यात्रा व्यय	200000.00	200000.00	
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	500000.00	500000.00	
47– कम्प्यू0 अनु0/तत्सं स्टेशनरी का क्रय	2000000.00	2000000.00	
49–चिकित्सा व्यय	20000000.00	20000000.00	
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	500000.00	500000.00	
55 – मकान किराया भत्ता	130000000.00	130000000.00	
58 –आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	20000000.00	20000000.00	
योग–05	**3961884000.00**	**3961884000.00**	
2039–राज्य उत्पाद शुल्क आयोजनेत्तर 001– निदेशन और प्रशासन 06– कम्प्युटरीकरण एवं आनलाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	100000000.00	100000000.00	
47– कम्प्यू0 अनु0/तत्सं स्टेशनरी का क्रय	5700000.00	5700000.00	
योग–06	**105700000.00**	**105700000.00**	
योग–001	**4941011000.00**	**4941011000.00**	
योग–2039	**4941011000.00**	**4941011000.00**	
2059–लोक निर्माण कार्य 01–कार्यालय भवन 051–निर्माण 03–अनावसीय भवन की मरम्मत व रख–रखाव	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
29–अनुरक्षण	2500000.00	2500000.00	
योग–051	**2500000.00**	**2500000.00**	
योग–01	**2500000.00**	**2500000.00**	
योग–2059	**2500000.00**	**2500000.00**	
2216–आवास 01–सरकारी रिहायसी भवन 700–अन्य आवास 03–आबकारी विभाग के आवासीय भवन की मरम्मत व रख– रखाव	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
29–अनुरक्षण	2000000.00	2000000.00	
योग–700	**2000000.00**	**2000000.00**	
योग–01	**2000000.00**	**2000000.00**	
योग–2216	**2000000.00**	**2000000.00**	
योग–मतदेय राजस्व	**4945511000.00**	**4945511000.00**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन 51– निर्माण 03– आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एक मुश्त व्यवस्था	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
25–लघु निर्माण कार्य	5000000.00	5000000.00	
योग–4059	**5000000.00**	**5000000.00**	
4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 800–अन्य व्यय 03– राज्य उत्पाद शुल्क– अधीक्षण	आय–व्ययक प्राविधान (2024–2025)	आवंटित की जाने वाली धनराशि	
14–मोटर गाड़ियो का क्रय	20000000.00	20000000.00	
योग–मतदेय पुंजीगत	**25000000.00**	**25000000.00**	
महायोग	**4970511000.00**	**4970511000.00**	

2. उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा पूँजी लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू.2,0000000.00 (रुपया दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष आबकारी आयुक्त से परीक्षणोंपरान्त सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. अत: वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आबकारी विभाग के अनुदान सं.-01 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास एवं 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत् परिव्यय के अन्तर्गत संगत लेखा शीर्षकों में प्राविधानित धनराशि रु.4,94,55,11,000.00 (मतदेय) व धनराशि रु.2,50,00,000.00 (पूंजीगत) सहित कुल धनराशि रु.4,97,05,11,000.00 (चार अरब सतानवे करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार) में से रु.4,95,05,11,000.00 (चार अरब पनचानवे करोड़ पाँच लाख ग्यारह हजार) की धनराशि आबकारी आयुक्त के निवर्तन पर निम्नवत शर्तों के अधीन रखी जा रही है। उक्त मदवार धनराशियों को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5. यदि किसी व्यय के लिये शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

6. उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित् करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

7. लघु निर्माण कार्यों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य की अपरिहार्यता है तथा यह कार्य किसी अन्य मद से प्रस्तावित नहीं है। इसके अतिरिक्त कराये जाने वाले कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी कार्यों की द्विरावृत्ति न की जाय। आवंटित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय फाइनेशियल हैण्डबुक व वित्तीय नियम संग्रह एवं अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का अन्तरण दूसरे मद में नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो उसका औचित्य स्पष्ट करते हुये शासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 09/2024/729 (1) / ई-1/तेरह-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ,.प्र. प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी, (बजट) आबकारी अनुभाग-1

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।